

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

आदेश

दिल्ली, 5 मई, 2010

सं. फा. 10 (1183)/मु.स.(मुख्या.)/स.शु./08/780.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री जेकब बल्लस कैपिटल इंडिया प्रा. लि. पहली मंजिल, विंग-बी, कामर्शियल प्लाजा, रेडिशन होटल, एनएच-8, महिपालपुर, नई दिल्ली-110037, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 1,00,42,580 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,00,00,001 से 1,1004,258 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 10,043 (रुपए दस हजार तैतालीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE AUTHORITY ORDERS

Delhi, the 5th May, 2010

F. No. 10(1183)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/780.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Jacob Balls Capital India Private Limited, 1st Floor, Wing-B, Commercial Plaza, Radisson Hotel, NH-8, Mahipalpur, New Delhi-110037 shall pay a consolidated stamp duty of

Rs. 10,043/- (Rs. Ten Thousand Forty Three) only on the aggregate value of shares of Rs. (1,00,42,580/- for equity Share certificates with distinctive Nos. 1,00,00,001 to 1,10,04,258 to be issued by the said company.

सं. फा. 10(1202)/मु.स.(मुख्या.)/स.शु./781.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स अमबीयंस फिनकैप (प्रा.) लि. ए-247/2, फेस-1, अशोक विहार, नई दिल्ली-110052, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 3895000/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1270001 से 1659500 है, पर लगाने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 3895/- (रुपए तीन हजार आठ सौ पचानबे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1202)/COS(HQ)/Cons. Duty/781.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Ambience Fincap Private Limited, A-247/2, Ashok Vihar, Phase-I, New Delhi-110052 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 3895/- (Three Thousand Eight Hundred Ninety Five) only on the aggregate value of shares of Rs. 3895000/- for equity Share certificates with distinctive Nos. 1270001 to 1659500 to be issued by the said company.

सं. फा. 10(1198)/मु.स.(मुख्या.)/स.शु./782.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स अन्टार्कटीका होस्पिटैलीटी लि., 1-ए, वन्दना, 11, टोल्सटोय मार्ग, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 1,91,14,950/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 7833047 से 7960479 है, पर लगाने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 19,115/- (रुपए उन्नीस हजार एक सौ पन्द्रह) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1198)/COS(HQ)/Cons. Duty/782.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Antarctica Hospitality Private Limited, 1A Vandhna, 11 Tolstoy Marg, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 19,115/- (Rs. Nineteen Thousand One

Hundred Fifteen) on the aggregate value of shares of Rs. 1,91,14,950/- equity Share certificates with distinctive Nos. 7833047 to 7960479 to be issued by the said company.

सं. फा. 10(1194)/मु.स.(मुख्या.)/स.शु./08/783.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स वर्ल्ड टेक्स सर्विसेज इंडिया प्रा.लि., 1 एच, वन्दना, 11, टोल्सटोय मार्ग, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 57,20,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 143001 से 449000 है, पर लगाने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 5720/- (रुपए पांच हजार सात सौ बीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1194)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/783.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s World Tax Services India Private Limited, 1H, Vandhna, 11 Tolstoy Marg, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 5720/- (Rs. Five Thousand Seven Hundred Twenty) only on the aggregate value of shares of Rs. 57,20,000/- for equity Share certificates with distinctive Nos. 143001 to 429000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10(1213)/मु.स.(मुख्या.)/स.शु./08/793.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स सूर्या गुजरात पावर लि., 301, पदमा टावर-1, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 5,00,000/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 00001 से 50000 है, पर लगाने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 500/- (रुपए पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1213)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/793.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Surya Gujarat Power Limited, 301, Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110008 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 500/- (Rs. Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 5,00,000/- for equity

Share certificates with distinctive Nos. 00001 to 50000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10(1212)/मु.स.(मु.ख्या.)/स.शु./08/794.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स सूर्या छत्तीसगढ़ पावर लि., 302, पदमा टावर-1, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 5,00,000/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 00001 से 50000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 500/- (रुपए पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1211)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/794.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Surya Chhattisgarh Power Limited, 302, Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110008 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 500/- (Rs. Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 5,00,000/- for equity Share certificates with distinctive Nos. 00001 to 50000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10(1211)/मु.स.(मु.ख्या.)/स.शु./08/795.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स मोन्टगोमरी इंडिया प्रा. लि., डी-28, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-110049, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 12,09,180/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2368077 से 2488994 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 1,210/- (रुपए एक हजार दो सौ दस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1211)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/795.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Montgomery India Private Limited, D-28, South Extension Part-I, New Delhi-110049 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,210/- (Rs. One Thousand Two Hundred Ten) only on the aggregate value of shares of Rs. 12,09,180/- for equity Share certificates with distinctive Nos. 2368077 to 2488994 to be issued by the said company.

सं. फा. 10(833)/मु.स.(मु.ख्या.)/स.शु./08/796.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम,

1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स सेमटेल हाल डिस्पले सिस्टमस लि., छठी मंजिल, 7, टीडीआई सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जसोला, नई दिल्ली, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 1,00,000/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 1000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 100/- (रुपए एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(833)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/796.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Samtel Hal Display Systems Limited, 6th Floor, 7, TDI Centre, District Centre, Jasola, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 100/- (Rs. One Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 1 to 1000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10(1190)/मु.स.(मु.ख्या.)/स.शु./08/797.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स ट्रीडेन्ट इन्फोसोल प्रा. लि., 1, अपर ग्राउंड फ्लोर, देविका टावर, 6 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 90,00,000/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 900001 से 1200000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 90,00 (रुपए नौ हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1190)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/797.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Trident Infosol Private Limited, 1, Upper Ground Floor, Devika Tower, 6, Nehru Place, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 9000/- (Rs. Nine Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 90,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 900001 to 1200000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10(1189)/मु.स.(मु.ख्या.)/स.शु./08/798.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स मिनरवा

फ्लेक्स एण्ड प्रोग्रेस प्रा. लि., 1101, इन्द्राप्रकाश, 21, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 1,67,38,640 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 3748837 से 5422700 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 16,739 (रूपए सोलह हजार सात सौ उनतालीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1189)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/798.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Minerva Flavours and Fragrance Private Limited, 1101, Indraprakash, 21, Barakhamba Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 16739 (Rs. Sixteen Thousand Seven Hundred Thirty Nine) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,67,38,640 for equity Share certificates with distinctive Nos. 3748837 to 5422700 to be issued by the said company.

सं. फा. 10(1192)/मु.स.(मुख्या.)/स.शु./08/799.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ट्रीडेन्ट इन्फोसोल प्रा. लि., 1, अपर ग्राउंड फ्लोर, देविका टावर, 6, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 7,49,99,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 0000001 से 7499900 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 1,12,499 (रूपए एक लाख बारह हजार चार सौ निम्नानबे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1192)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/799.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Trident Infosol Private Limited, 1, Upper Ground Floor, Devika Tower, 6, Nehru Place, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,12,499 (Rs. One Lac Twelve Thousand Four Hundred Ninety Nine) only on the aggregate value of debentures of Rs. 7,49,99,000 for issue of optionally Convertible debentures distinctive No. 0000001 to 7499900 to be issued by the said company.

सं. फा. 10(1203)/मु.स.(मुख्या.)/स.शु./08/801.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सूर्या

मेन्युफैक्चरिंग इंडिया लि., 301, पदमा टावर-1, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 1,24,20,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2801618 से 2925817 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 12,420 (रूपए बारह हजार चार सौ बीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1203)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/801.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Surya Manufacturing India Limited, 301, Padma Tower-1, Rajendra Place New Delhi-110008 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 12,420 (Rs. Twelve Thousand Four Hundred Twenty) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,24,20,000 equity share certificates with distinctive Nos. 2801618 to 2925817 to be issued by the said company.

सं. फा. 10(1204)/मु.स.(मुख्या.)/स.शु./08/802.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सूर्या मेन्युफैक्चरिंग इंडिया लि., 301, पदमा टावर-1, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 1,75,00,000/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2626618 से 2801617 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 17,500/- (रूपए सतरह हजार पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1204)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/802.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Surya Manufacturing India Limited, 301, Padma Tower-1, Rajendra Place New Delhi-110008 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 17,500 (Rs. Seventeen Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,75,00,000 equity share certificates with distinctive Nos. 2626618 to 2801617 to be issued by the said company.

सं. फा. 10(1197)/मु.स.(मुख्या.)/स.शु./08/803.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि., उर्जानिधि, 1 बाराखम्बा लेन, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 1476,00,00,000

1784 DG/10-3

मूल्य के अनसेक्योर्ड, रिडिमेबल, नन कनवर्टीबल, नन कम्यूलेटिव, टेक्सेबल बोण्डस जो कि डिबेन्चर के रूप में हैं, जिनकी पृथक संख्या 00000001 से 00004920 (सीरीज 64) है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,
विनय कुमार, संयुक्त सचिव (राजस्व)

F. No. 10(1197)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/803.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Power Finance Corporation Limited, Urjanidhi, 1, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi-110001, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 25,00,000 (Rs. Twenty Five Lakh) only on the aggregate value of debentures of Rs. 1476,00,00,000 for issue of Unsecured, redeemable, Non Convertible, Non cumulative, taxable bonds in the nature of debentures Series 64 bearing distinctive No. 00000001 to 00004920 to be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority
Government of National Capital Territory of Delhi.

VINAY KUMAR, Jt. Secy. (Revenue)

गृह (सामान्य) विभाग